न्यायालय वरिष्ठ सिविल जज, रूड़की, जिला हरिद्वार।

मूल वाद संख्या–227/2022

मांगेराम बनाम इकराम आदि

<u>दिनांक 08.08.2022–</u>

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लिल्लू सिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बलबीर सिंह न्यायालय में उपस्थित आये। वादी संख्या 2 जगपाल, प्रतिवादी संख्या 1 इकराम, प्रतिवादी संख्या 2 इमरान न्यायालय में उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 27घ प्रस्तुत किया गया। घोर आपत्ति की गई। सुना न्यायहित में स्वीकृत।

वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा सूची दस्तावेज कागज संख्या 28ग1 से नकल सजरा कागज संख्या 29ग1 पत्रावली पर दाखिल किया गया। शामिल मिसल हो। अमीन रूड़की की ओर से मौका मुआयने की आख्या कागज संख्या 30ग2/1 ता 30ग2/3 मय मूल फोटोग्राफ कागज संख्या 30ग2/4 तथा 30ग2/6 व मूल रसीद कागज कागज संख्या 30ग2/7 पत्रावली पर प्रस्तुत की गई। शामिल मिसल हो।

पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा आदेश पत्र के हाशिये पर प्रश्नगत भूमि पर पक्षकारगण की ओर से अग्रिम नियत तिथि तक मौके पर यथास्थिति बनाये रखने में कोई आपत्ति न होने का पृष्ठांकन अंकित किया गया। फलस्वरूप पक्षकारों की ओर से उक्त सहमति के दृष्टिगत पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वह वाद पत्र के अन्त में वर्णित विवादित सम्पत्ति बाबत अग्रिम नियत तिथि तक यथास्थिति कायम रखेंगे।

पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र 6ग2/आपत्ति/जवाबदावा/वाद बिन्दु दिनांक 21.09.2022 को पेश हो।

(राजीव धवन)
वरिष्ठ सिविल जज,
रूड़की, जिला हरिद्वार।